



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

2026:RJ-JD:11651

S.B. Criminal Miscellaneous Interim Bail Application No. 2515/2026

Badriram S/o Shri Gangaram, Aged About 44 Years, Ro Raliyo Ki
Dhani Sarpura Khurd P S Bhopalgarh District Jodhpur.
(At Present Lodged In Central Jail Jodhpur.)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kaluram Bhati
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

10/03/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अन्तरिम जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता (483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) पुलिस थाना भोपालगढ़, जिला जोधपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 22/2023, सेशन प्रकरण संख्या 24/2024 में अपराध अन्तर्गत धारा 363, 342, 376, 376(2)(एन), 384 भारतीय दंड संहिता व धारा 3/4, 5(एल)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस अन्तरिम जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के जीजाजी की मृत्यु दिनांक 12.02.2026 को हो जाने के कारण उनके परिवार में बैठक के लिए जाने हेतु अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अतः इस आधार पर 30 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।
5. अन्तरिम जमानत आवेदन पत्र पर विचार किया। वर्तमान में प्रार्थी/अभियुक्त के जीजाजी की मृत्यु हुए 1 माह के लगभग अवधि व्यतीत हो चुकी है।



प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/4, 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोप हैं तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कुल 44 मुकदमों की सूची विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.2026 के मुताबिक संलग्न है।

6. ऐसी अवस्था में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति, तथ्यों, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थी-अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अन्तरिम जमानत आवेदन पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

291-GauravG/-